न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 135/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 श्रीमती बसन्ती पत्नी रामेश्वर आयु 55 वर्ष।
2 धोला राम पुत्र रामेश्वर आयु 25 वर्ष समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रूकमणी पत्नी धुड़ाराम।
2 मूलचन्द पुत्र शंकरलाल।
3 बनवारी लाल पुत्र शंकरलाल।
4 भंवरलाल पुत्र शंकरलाल।
5 श्रीमती मनभरी बेवा शंकरलाल समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।
6 रतनी देवी पत्नी तुलसीराम।
7 मनीष पुत्र तुलसीराम।
8 अनिल पुत्र तुलसीराम।
9 रविन्द्र पुत्र तुलसीराम।
10 हंसा पुत्री तुलसीराम।
11 मांगीलाल पुत्र झाबरमल।
12 सुवाराम पुत्र झाबरमल।
13 मनोज कुमार पुत्र झाबरमल।
14 छोटी बेवा झाबरमल।
15 महावीर पुत्र धुड़ाराम।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 कुशला राम पुत्र धुड़ाराम।
17 बीरबल पुत्र धुड़ाराम।
18 महेन्द्र पुत्र धुड़ाराम।
19 बोदूराम पुत्र धुड़ाराम।
20 केशर देव पुत्र रामेश्वर।
21 ताराचन्द पुत्र रामेश्वर।
22 मुकेश कुमार पुत्र रामेश्वर।
23 खेमचन्द पुत्र रामेश्वर समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।
24 उप पंजियक महोदय, सीकर।
25 तहसीलदार महोदय, सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद आदेश एवं डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 19.05.16
पत्रावली संख्या 133/2014

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र पारीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश मील, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः– 17.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 133/2014 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1453,1455,1456,1510,1516 वाके पटवार हल्का रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने इस वाद में दिनांक 18.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 19.05.2016 को अन्तिम डिक्री जारी की है। इस अन्तिम डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांटस की जानकारी के बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। अपीलांट को सूचित नही किया गया। विभाजन प्रस्ताव में केवल रेस्पोडेंट के हितो को ध्यान में रखकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 1510 से आगे उत्तर की और स्थित भूमि में कटान का रास्ता अंकित नही किया गया। जिससे मुख्य सड़क तक पहुचना सम्भव नही है। प्रकरण में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है प्रकरण में अपीलांट को आपत्ति का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। अपील स्वीकार की जावे। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज 70, आर.आर.डी. 2009 पेज 378 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विभाजन प्रस्ताव बाहमी बंटवारे के अनुसार तैयार किये गये है। खसरा नम्बर 1508 हमारे द्वारा कय की गई इसमें से 20 फिट का रास्ता दे रखा है। फिर भी हैरान परेशान करने हेतु अपील की गई है। इनकों आने जाने के लिए कभी रोका नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपील जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जावे। बाहमी बंटवारे का कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.05.2016 को तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थिति के लिए वादी अपीलांट को सूचित किया गया हो। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। दिनांक 19.05.2016 को ही अन्तिम डिक्री पारित कर दी है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को सुनवाई एवं आपत्ति का यथोचित अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2016 विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर आपत्ति का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.01.2020 को अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर